

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधार्थ तथा अन्य मामलों से सम्बंधित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार, 05 जुलाई, 1996 / अत्राढ़ 14, 1918 ॥शक॥

संख्या. 263

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित सहायक आयुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक 21.6.96 को निम्नलिखित संसूचना दिनांक 28.6.1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री इन्द्र राज सिंह और बलबोर सिंह को आज अर्थात् दिनांक 21.6.96 को अपराहन 12.15 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 21.6.96 को अपराहन 1235 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, July 05, 1996/Ashada 14, 1918 (Saka)

No.263

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following wireless message dated 21.6.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from Asstt. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 28.6.96 :-

"I have the honour to inform you that Hon'ble Member of the Legislative Assembly, Delhi, Shri Inder Raj Singh and Shri Balbir Singh alongwith their supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 1215 hours today i.e. 21.6.96.

They were released at 1235 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 21.6.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY